**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 552**

**14 अगस्‍त, 2012 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्‍तर**

**बाजार में अनावश्यक दवाएं**

552. **श्री नंदी येल्लैया:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य संबंधी संचालन समिति जिसकी प्रमुख योजना आयोग की सदस्य सैयदा हामीद है, ने हाल में कहा है कि बाजार शीर्ष 10 अविवेकपूर्ण, अनावश्यक और खतरनाक दवाओं से भरा पड़ा है जिसमें शीर्ष दस उत्पाद हैं तथा ये बाजार में बेचे जाने वाली औषधियों का 10 प्रतिशत हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सभी अनियमितताओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने और औषधियों के ऐसे अनैतिक संवंर्धन पर अंकुश लगाने के लिए अबतक की गई विस्तृत कार्रवाई क्या है?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)**

(क) : जी नहीं।

(ख) : चिकित्‍सीय पेशेवरों को उपहार देकर, उनकी मेहमानबाजी करके, विदेशी व घरेलू स्‍थानों के भ्रमण इत्‍यादि के माध्‍यम से अपनी दवाईयों को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्‍यूटिकल कम्‍पनियों के अनैतिक व्‍यवहार को रोकने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने डाक्‍टरों द्वारा फार्मा कम्‍पनियों से उपहारों को लेना निषेध कर दिया है। रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत फार्मास्‍यूटिकल विभाग ने फार्मास्‍यूटिकल विपणन व्‍यवहारों का एकसमान कोड का एक प्रारूप भी तैयार किया है जो स्‍वैच्छिक प्रकृति का है।